न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 17/2018

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री श्रद्धा गौमे आई0ए0एस0

शान्ति देवी पत्नि रतनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर। वादी

बनाम

1 मीरा देवी पुत्री हजारी जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
3 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, अजमेर। प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक वादी
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राज. अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः– 18/04/2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजीयात वादिया की क्रयशुदा सह खातेदारी, सह काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 465 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.23 है0, कुल किता रकबा 0.40 हैं0 है में वादिया का क्रयशुदा 1/4 हिस्सा निहित है। जो वादिया द्वारा तत्समय दर्ज रिकार्डेड खातेदार दुला, हरजी पुत्रगण कला जाति रावत के विधिक वारिसानों से क्रय की गई जो संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2041 में दर्ज नामांतकरण संख्या 202 दिनांक 07.01.2008 से स्वयं सिद्व है। वादिया अपने क्रयशुदा 1/4 हिस्से पर क्रय दिनांक से आज दिनांक तक तन्हा रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। हाल ही में हुए भू संशोधन के दौरान वर्तमान जमाबंदी मुर्तिब करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादिया के क्रयसुदा 1/4 हिस्सें वादिया के साथ प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसका उन्हें कोई विधिक हक व अधिकार नहीं था। जिससे उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम वादिया के 1/4 हिस्से में से हजब किया जाकर वादिया की क्रयशुदा भूमि को तन्हा रूप से वादिया के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जिस हेतु उक्त वाद वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती एंव उदघोषणा खातेदारी बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादिया सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में वादीया के क्रयशुदा कृषि की भूमि पर प्रतिवादी सं.1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने हेतु अनुतोष चाहा।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 सरकार परोकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाली जंवाब दावा दिनांक 27.06.2018 को पेश करते हुए कथन किया कि मेरा नाम वादिया के 1/4 हिस्से में सहवन से दर्ज हो गया जबकि उक्त 1/4 हिस्से में मेरा कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। यदि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजब कर वादीया को उसके क्रयशुदा 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 27.06.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व कोई दादरसी नहीं चाही गई हैं शेष कथन वादी द्वारा दस्तावेज व स्वंय सिद्व किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध को अनुतोष नही होने से वादी साक्ष्य पत्रावली हेतु नियत की गई जिस पर वादी न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों जो जमाबंदी संवत 20[illegible] प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश 2 जमाबंदी 2072–2075 प्रर्दश 3 करवाये गये। मौखिक साक्ष्य में श्रीमति शांति देवी पत्नि रतन सिंह के शपथ पत्र पर प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की।

उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं इकबाल दावा के मध्यनजर साबित होने से वादी का वाद डिक्री किया जावें। दावा इकबाली जवाब दावा में प्रतिवादी 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को देखने से यह साबित हो रहा है कि ग्राम वादग्रस्त आराजीयात वादिया की क्रयशुदा सह खातेदारी, सह काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 465 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.23 है0, कुल किता रकबा 0.40 हैं0 है में वादिया का क्रयशुदा 1/4 हिस्सा निहित है। जो वादिया द्वारा तत्समय दर्ज रिकार्डेड खातेदार दुला, हरजी पुत्रगण कला जाति रावत के विधिक वारिसानों से क्रय की गई जो प्रर्दश 1 जमाबंदी सम्वत् 2041 में दर्ज नामांतकरण संख्या 202 दिनांक 07.01.2008 से स्वयं सिद्व है। वादिया अपने क्रयसुदा 1/4 हिस्से पर क्रय दिनांक से आज दिनांक तक तन्हा रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। हाल ही में हुए भू संशोधन के दौरान वर्तमान जमाबंदी मुर्तिब करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादिया के क्रयसुदा 1/4 हिस्सें वादिया के साथ प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसका उन्हें कोई विधिक हक व अधिकार नहीं था। जिससे उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम वादिया के 1/4 हिस्से में से वादिया के नाम दर्ज किया जाना उचित है अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 465 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.23 है0, कुल किता रकबा 0.40 हैं0 है में वादिया का क्रयशुदा 1/4 हिस्सा निहित है का तन्हा खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त 1/4 हिस्से में से हजब किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि वादी की उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 नाम हजब कर वादिया का नाम अभिलेख में तन्हा दर्ज कर उक्त त्रुटिपूर्ण इद्राज को दुरूस्त करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/04/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रद्धा गौमे)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री व मुददमे इब्दते

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः–17/2018

शान्ति देवी पत्नि रतनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर।

.....वादी

बनाम

1 मीरा देवी पुत्री हजारी जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
3 श्रीमान उप पंजीयक महोदय, अजमेर।

.....प्रतिवादी

दिनांक :– 18/04/2024

वादी अभिभाषक श्री मदनपुरी गोस्वामी व प्रतिवादी संख्या 2 राजकीय अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गुर्जर असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 18/04/2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री श्रद्धा गौमे आई0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि :– वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 465 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.23 है0, कुल किता रकबा 0.40 हैं0 है में वादिया का क्रयशुदा 1/4 हिस्सा निहित है का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जाता है कि वादी की उक्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 नाम हजब कर वादिया का नाम अभिलेख में तन्हा दर्ज कर उक्त त्रुटिपूर्ण इद्राज को दुरूस्त करावे। डिक्री इसी कदर जारी हो।

(श्रद्धा गौमे)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–...रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर

(श्रद्धा गौमे)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner